

मैनुअल -10

क्र	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक (क्षतिपूर्ति भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता छोड़कर)	पारितोषिक/पारितोषिक भत्ता (क्षतिपूर्ति भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता)	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई है
1	श्री मुकुल धारीवाल	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	149541.00	0	राज्य शासन के नियमानुसार
2	श्री एस के शर्मा	उप सचिव		400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
3	श्री नीरज अग्रवाल	उप सचिव	139818.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
4	श्री व्ही.के.गौर	उप सचिव	139818.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
5	श्री पी के चतुर्वेदी	उप सचिव	143388.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
6	श्री एस.एस. अग्रवाल	अधीक्षण यंत्री	136560.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
7	श्री उत्कर्ष गौर	संयुक्त संचालक (वित्त)	122400	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
8	श्री एस. के. गायकवाड.	कार्यपालन यंत्री		400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
9	श्री मनोज मन्डलोई	कार्यपालन यंत्री	122400.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
10	श्री सोमदेव शर्मा	कार्यपालन यंत्री	76980.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
11	श्रीमती सीमा डहेरीया	अवर सचिव			राज्य शासन के नियमानुसार
12	श्री अविनाश कुमार	उप संचालक	56316.00	400.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
13	श्रीमती दिव्या दवे जैन	उप महाप्रबंधक	58128.00	400.00	म.प्र.पा.ज.क.लि.के नियमानुसार
14	श्री डी के खरे	सहायक यन्त्री	95277.00	400.00	तदैव
15	श्री श्यामलाल अहिरवार	अनुभाग अधिकारी	31998.00	200.00	राज्य शासन के नियमानुसार
16	श्री विरेन्द्र वर्मा	लोकसेवा प्रबन्धक	27563.00	0	संविदा आधार पर नियुक्त
17	श्री के.आर. करथा	कनिष्ठ यंत्री	43242.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
18	श्री एम.के. नामदेव	कनिष्ठ यंत्री	55607.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
19	श्री आजम मोहम्मद	निज सहायक			राज्य शासन के नियमानुसार
20	श्री एबे.पी.मेथ्यु	शीघ्रलेखक			राज्य शासन के नियमानुसार
21	श्री नरेश कुमार सोनी	सहायक ग्रेड-2	35310.00	200.00	राज्य शासन के नियमानुसार
22	श्री वामनराव देशमुख	अति.वरिष्ठ शीघ्रलेखक	50459.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
23	श्री दीपक आरसे	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	50401.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
24	श्री सी एस शर्क	वरिष्ठ शीघ्रलेखक		200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
25	श्री के.एस. पाण्डेय	अति.वरिष्ठ शीघ्रलेखक	48545.00	200.00	तदैव
26	श्री मनोज नायर	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	59283.00	200.00	तदैव
27	श्री सी.एफ.विल्सन	कनिष्ठ शीघ्रलेखक	56605.00	200.00	तदैव
28	श्री ए.के. उपाध्याय	अति कार्या.सहाश्रेणी-1	31004.00		संविदा आधार पर नियुक्त
29	श्री एस एम अली	अति कार्या.सहाश्रेणी-1		200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
30	श्री के के शुक्ला	अति कार्या.सहाश्रेणी-2		200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार

31	श्री एस.सी.दुवे	अति कार्या.सहाश्रेणी-1	62558.00	200.00	तदैव
32	श्री के.के. जैन	अति कार्या.सहाश्रेणी-1	65241.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
33	श्री अवधेशचन्द्र मिश्रा	अति कार्या.सहाश्रेणी-२	56492.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
34	श्री विनित गंगाखेडकर	अति कार्या.सहाश्रेणी-2		200.00	तदैव
35	श्री निखिल पांचपोर	अति कार्या.सहाश्रेणी-2	41926.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
36	श्री यशवंत बगैरिया	कार्यालय सहा श्रेणी-2	59417.00	200.00	तदैव
37	श्री एम एच सिद्धिकी	कार्यालय सहा श्रेणी-3			तदैव
38	श्रीमती रति बाथम	सहा श्रेणी-3			राज्य शासन के नियमानुसार
39	श्री हाकम सिंग	ड्राईवर			म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
40	श्री साहेब राव	भृत्य			म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
41	श्री सन्तोष रायकवार	परिचारक वर्ग-२	26641.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
42	श्री नवराज राई	परिचारक वर्ग-२	26641.00	200.00	तदैव
43	श्री शशांक गुप्ता	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	निविदा के आधार पर
44	श्रीमती कल्पना भदौरिया	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	तदैव
45	कु. आसमा कुरेशी	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	तदैव
46	श्री दीपेश	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	निविदा के आधार पर
47	श्री राकेश श्रीवास्तव	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	निविदा के आधार पर
48	श्री धर्मेन्द्र बकोरिया	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	निविदा के आधार पर
49	श्रीमती प्रीति मीणा	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	निविदा के आधार पर
50	श्री सुनील वर्मा	निविदा भृत्य	5845.00	0	तदैव
51	श्री मुकेश कुमार रघुवंशी	निविदा भृत्य	5845.00	0	तदैव
52	श्री कमलेश जाटव	निविदा भृत्य	5845.00	0	तदैव
53	श्री सुमित वर्मा	निविदा भृत्य	5845.00	0	तदैव
54	सतीश सितोले	निविदा भृत्य	5845.00	0	तदैव
55	श्री उमेश कुशवाह	निविदा भृत्य	5845.00	0	तदैव
56	श्री नीरज बाथम	कम्प्यूटर आपरेटर	6125.00	0	निविदा के आधार
57	श्री अजय बाथम	निविदा भृत्य	5845.00	0	निविदा के आधार
58	श्री सच्चिदानन्द पान्डे	भृत्य	16702.00	200.00	म.प्र.रा.वि.मं.के नियमानुसार
59	श्री रामयश शुक्ला	भृत्य	39501.00	200.00	तदैव
60	श्री श्याम सोनी	निविदा भृत्य	5845.00	0	निविदा के आधार
61	श्रीमती समीना नईम	निविदा भृत्य	5845.00		निविदा के आधार

मैनूअल -11
Energy Department
Budget Details 2016-17

Rs. In Crore

S.N	Head		2016-17				
			Proposed	Approved	Difference	Released	Balance
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 5-7
Non-Plan							
	a	Traiff Subsidy	4,907	3,830	1,077	659	3,171
	b	Free Supply Subsidy	2,593	2,000	593	445	1,555
	c	Krishak Samridhi Yojna	51	51	-		51
	d	Working Capital (Power Management Company)	1,200	500	700		500
	f	Grant (Wheeling Charges)	2	2	-		2
	g	ED/CESS Collected by Discom Converted to Perpetual loan	1,640	1,640	-		1,640
	h	Sardar Sarovar Liability Converted	452	452	-		452
	i	Deenbandhu Yojna	111	111	-		111
	j	Perpetual loan converted to Equity		7,568	-7,568		7,568
Total Non-Plan			10,955	16,154	-5,198	1,104	15,050
PLAN							
1		Genco					
	a	State Loan	100.00	163.90	-63.90		163.90
	b	Satpura TSP/SCSP/Normal	0.01	0.01	-		0.01
	c	Malwa(Normal/TSP/SCSP)	151.20	151.20	-		151.20
	d	Dada Dhuniwale			-		-
	e	Shri Singhaji TPP phase ii (2*660)	360.00	360.00	-		360.00
	f	Amarkantak (1x250) New	0.25	0.25	-		0.25
	g	Sarni TSP (1x660)New	0.25		0.25		-
	h	S.G.T.P.S. Extn. (1x500/660MW)	0.01	0.01	-		0.01
	i	Coal Block	290.00	290.00	-		290.00
		Total	901.72	965.37	-63.65	-	965.37
2		MP Power Mannagement Co.					
	a	BANSAGAR	0.0001	0.0001	-		0.0001
	b	ERP Power Management	0.0001	0.0001	-		0.0001
		Total	0.00	0.00	-	-	0.00
3		Discom					
	a	ADB Loan Discom (System Strengthening)	0.03	0.03	-		0.03
	b	ADB Loan Discom feeder separation	284.16	284.16	-		284.16

	c	Integrated Power Development Scheme (IPDS)	0.0001	0.0001	-		0.0001
	d	Deen Dayal Upadhyay Grammen Jyoti Yojna (DDUGJY)	0.0001	0.0001	-		0.0001
	e	STN(Normal/TSP/SCSP)	808.11	607.29	200.82		607.29
	f	New Pump Connection	397.29	397.29	-		397.29
	g	RGGVY Loan	66.96	66.96	-		66.96
	h	33/11KV ADB loan pipe line	166.34	166.34	-		166.34
	i	Company Share for IPDS (10%)	84.10	84.10	-		84.1
	j	Scheme for conversion of TC TO PC Pump connection	175.81	166.81	9.00		166.81
	k	Renovation Scheme for reduction in failure rate of Distribution Transformers:	100	100	-		100
	l	Smart metering Project	60	60	-		60
		Total	2142.80	1932.98	209.82	0.00	1932.98
4		Transco (plan)					
	a	ADB Loan Transco (JICA)	112.68	112.68	-		112.68
	b	STN (Normal/TSP/SCSP)	300	260	40.00		260
	c	New ADB Loan	400	226.1	173.90		226.1
		Total	812.68	598.78	213.90	-	598.78
		Grand Total (Plan)	3,857.20	3,497.13	360.07	-	3,497.13
	1	NON PLAN	10955.27	16153.50	-5198.23	1104.00	15049.50
	2	PLAN	3857.20	3497.13	360.07	0.00	3497.13
		Total	14812.47	19650.63	-4838.16	1104.00	18546.63

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रम

- (अ) राज्य में विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय लिये जाते रहे हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2010 को मध्यप्रदेश (इनवेस्टमेंट इन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स) पॉलिसी, 2010 जारी की गयी है।
- (ब) राज्य में निजी पूंजी निवेश पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसके प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य (ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना) भूमि प्रबंधन नियम, 2011" जारी किए गए हैं।
- (स) राज्य सरकार ने लोकहित में राज्य की जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से विद्युत की खपत पर लगाने वाले विद्युत शुल्क की दरों का युक्तियुक्तकरण करने हेतु मध्यप्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जिसका लाभ राज्य की जनता को मिलना शुरू हो गया है। इसी प्रकार बिजली की खपत पर उपकर की राशि को भी समाप्त किया है।
- (द) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 51 जिलों हेतु कुल ₹. 2737 करोड़ लागत की 52 योजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से प्राप्त हुई थी। उक्त स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के 845 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 46468 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को 16.66 लाख निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध दिनांक 31 जनवरी 2017 की स्थिति में 845 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 37644 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं 14.15 लाख सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान करने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ₹. 1402 करोड़ लागत की कुल 34 योजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से प्राप्त हुई है तथा उक्त सभी योजनाओं के कार्य टर्न-की आधार पर कराये जाने हेतु कॉन्ट्रैक्ट अवाई जारी कर दिये गये हैं। उक्त स्वीकृत योजना अन्तर्गत 151 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 30078 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को 7.31 लाख निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध दिनांक 31 जनवरी 2017 की स्थिति में 151 अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण, 14785 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण एवं 3.46 लाख सभी श्रेणी के बी.पी.एल. हितग्राहियों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान करने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
- (इ) केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 3/12/2014 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आरंभ की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत ₹. 2865 करोड़ लागत की प्रदेश के 51 जिलों के लिए कुल 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त योजना के अंतर्गत कार्य टर्न-की आधार पर कराये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ई) नवीन स्थाई पम्प कनेक्शन देने हेतु अनुदान योजना- म.प्र.शासन द्वारा कृषकों को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु "मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना" लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अस्थायी कृषि पंप को स्थायी पंप में परिवर्तित किया जाता है तथा नए स्थायी पंप कनेक्शन भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले किसान द्वारा निम्नानुसार अंशदान की राशि कनेक्शन लेने हेतु देय है, जिसमें अधोसंरचना के कार्य शामिल हैं:-

वर्ष	लघु एवं सीमांत कृषक (2 हेक्टेयर से कम के भूमिधारक)		2 हेक्टेयर तथा अधिक के भूमिधारक
	अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक	अन्य	
2016-17	5000	7000	11000
2017-18	5500	7500	12000
2018-19	6000	8000	13000

अधोसंरचना के कार्य में रुपये 1.50 लाख से अधिक खर्च होने पर भी यह राशि योजना से ली जाती है। किसान द्वारा स्थाई नवीन पंप कनेक्शन हेतु म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत कनेक्शन चार्जस तथा सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त राशि जमा करने का भी प्रावधान है।

(5) स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओवायटी)-म.प्र.शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत कृषकों को स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की योजना स्वीकृत की गई है, जो कि 4 मई, 2011 से लागू हो गई है। इस योजना में किसान अपने व्यय से निर्धारित किये गये मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा लगाये गये ट्रांसफार्मर से किसी अन्य कृषक को कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे तथा इन ट्रांसफार्मरों का मेन्टेनेंस भी कृषकों द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत नये किसान तथा ऐसे किसान जिनका पूर्व में ही कनेक्शन विद्यमान है, वे भी अपने पंप कनेक्शन के लिये ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं।